Subject: Impact of the New Industrial Policy (NIP)

Category of Approvals	May 1990 to July 1991	August 1991 to October 1992
1. Letters of Intent/ Registration/Industrial Entrepreneurs Memoranda (Numbers)	4583	8065
2. Industrial Licences (Number)	471	166
3. Foreign Technology Agreements (Numbers)	666	1876
4. Foreign Investment Approvals Number	211	740
Value in Rs. Crore	193	
	3679	

Small Scale Sector

The cumulative number of small scale units coming under the purview of Small Industries Development Organisation and registered on permanent basis with the State Directorates of Industries during the last three years are given below:—

Year	Cumulative No. of SIDO Units registered as on 31st December
1989	12,65,593
1990	13,75,667
1991	14,96,246 (P).

(d) Policy initiatives taken in the New Industrial Policy, Export and Import policy 1992-97, monetary and credit policies are aimed *inter-alia* at improving overall competitiveness of Indian Industry in the international market.

चकबंदी की प्रक्रिया में सीमांत किसानों के हितों की रक्षा किया जाना

*251. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चकबंदी की प्रक्रिया में सीमांत किसानों, काश्तकारों और बटाईदारों के हितों की रक्षा नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को इस संबंध में राज्यवार कितनी सूचनाएं मिली हैं; और

(ग) सरकार ने सीमांत किसानों, काश्तकारों और बटाईदारों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या प्रयास किये हैं;

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी॰ वेंकटस्वामी): (क) 15 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों ने जोतों की चकबंदी के लिए कानून बनाए हैं। ऐसे कानूनों में सीमांत किसानों सहित काश्तकारों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। जहां तक बटाईदारों का संबंध है, अनेक राज्यों के कानूनों में उनके हितों की सुरक्षा के प्रावधान हैं। हिमाचल प्रदेश जोत (चकबंदी तथा विघटन पर पाबंदी) नियम, 1973 में ग्राम समिति में काश्तकारों को प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान हैं। इसी प्रकार बिहार, दिल्ली, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश में ग्राम समिति में काश्तकारों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। अधिकांश राज्यों ने काश्तकारों के हितों के संरक्षण हेतु प्रावधान भी किए हैं। पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी और विघटन पर पाबंदी) अधिनियम, 1948 की धारा 16 में यह व्यवस्था है कि चकबंदी अधिकारी द्वारा तैयार की गई योजना में अधिभोक्ता का अधिकार रखने वाले काश्तकार और उसके भू-स्वामी के बीच अधिभोक्ता काश्तकारी के अंतर्गत लंबित भूमि का दोनों पार्टियों के बीच हुई सहमति के अनुसार वितरण की व्यवस्था की जा सकती है। एक बार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत योजना अनुमोदित हो जाने के बाद भूमि के संबंध में अधिभोक्ता का अधिकार समाप्त हो जाएगा और काश्तकार तथा भू-स्वामी दोनों का भूमि पर पूर्ण-स्वामित्व हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रावधान हिमाचल प्रदेश जोत (चकबंदी तथा विघटन पर पाबंदी) अधिनियम 1971 की धारा 24 के अंतर्गत किए गए हैं। अन्य राज्यों में भी यह व्यवस्था है कि चकबंदी वाली भूमि में काश्तकार के पास काश्तकारी की अधिकार जारी रहेंगे।

(ख) और (ग) भूमि राज्य का विषय होने के नाते यह राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह अपने विविध कानूनों के प्रावधानों के अनुसार चकबंदी कार्यों के दौरान सीमांत किसानों, काश्तकारों और बटाईदारों के हितों की रक्षा करें। भारत सरकार की भूमिका परामर्श देने की है। भारत सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि चकबंदी की प्रक्रिया में सीमांत किसानों, काश्तकारों और बटाईदारों के हितों की सुरक्षा नहीं की जा रही है।